



2026:AHC:24229-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1664/2026

सुहैल @ सुहैल खान

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राकेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. श्री गौरव कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता ने आज न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अपना वकालतनामा दायर किया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार श्रीवास्तव को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
3. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः वे इस रिट याचिका पर आगे दबाव नहीं डालना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

4 फरवरी, 2026

ज़फर

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"